न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
408 / 2015	01.01.2015	02.12.2024

उनवान

1. रघुनाथसिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज० मृतक

1/1 रतनसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/2 रोहताशसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/3 गजराजसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/4 देशराजसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/5 मोहनसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

2. ओमबीरसिंह पुत्र श्री मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

3.अशोक पुत्र श्री मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

4. मुनेश देवी पत्नी स्व. मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

5. प्रिया पुत्री मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6. शिशपालसिंह पुत्र श्री सुण्डासिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ..मृतक

6/1 सन्तरा पत्नी स्व. शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/1 सन्तरा पत्नी स्व. शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/2 कैलाशसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/3 पूर्णसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/4 सुलतानसिंह उर्फ पप्पलसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/5 हुकमसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/6 गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/7 देवेन्दसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/8 विनोद बाई पुत्री श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

उपखण्ड अधिकारी

6/9 सीमा उर्फ ममता पुत्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

7. पूर्णसिंह पुत्र शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

9. एस०बी०आई०शाखा बहरोड जरिये शाखा प्रबन्धक

10. पंजाब नैशनल बैंक शाखा नीमराना जरिये शाखा प्रबंधक

11. एस.बी.बी.जे. शाखा मांढण जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, आराजी व
हु.ई.दवामी 88,89 व 188, आर0टी0एक्ट0

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी व प्रतिवादी सं०– एक लगायत 7 एक ही ग्राम गुन्दरोठ तह०–बहरोड के रहने वाले है । आराजी खासरा नम्बर हाल 509 रकबा 30 एयर वाले ग्राम गुन्दरोठ, तह०–बहरोड में स्थित है जिसके संवत 2042 से पूर्व के बासरा नम्बर 869 रकबा 2 बिस्वा 5 बिस्वा तथा व संवत 2020 से पूर्व के ख सरा नम्बर 835 रकबा 14 बिघा 8 विस्वा था जिसे आगे चलकर वाद पत्र में आराजी मुतानजा से संबोधित किया गया है।

2. साबिक खासरा नम्बर 2020 से पूर्व के 835 रकबा 14 विधा 8 विस्वा मे से 1/2 भाग के खातेदार मन वादी व मेरा भाई चाचा निहाल सिंह थी तथा हमारी बांटेदारी जमाबन्दी सं0–2012 की जमाबन्द में दर्ज है। तथा मन बादी का चाचा निहाल सिंह नावल्द फोत हो गया विका० बिनका मन वादी जायज वारिस होने के कारण उनके हिस्से पर भी मन वादी ही काबिज का आ रहा हूँ। तथा संवत 2020 के बन्दोवस्त मैं मन वादी व प्रतिवादीगण व उनके बुद्ध ने अपने–अपने हिस्से व कब्जा की आराजी का आपसी सहमती से अलग–अलग हाताब्दी कर दी गई थी लेकिन मन वादी के कब्जा व ईस्सा की कुछ भूमी को प्रतिवादीगण की भूमी के साथा मिलाकर उसका बन्दोबस्त सं०–2020 में वासरा नम्बर 869 रकबा 2 विणा 5 बिश्वा कायम कर दिया गया व उसकी खातेदारी भी प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गों के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त खसरा नम्बर में से करीब । विद्या 4 विस्वा भूमी मिन वादी के हिस्से मैं थी जिस पर मिन वादी वक्त बटवारा से आज तक मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। तथा जो इन्द्राज की मन वादी को कोई जानकारी नहीं हो सकी इसलिए बन्दोबस्त सवंत 2042 में बन्दोवरत्त विभाग द्वारा मन वादी के कब्जा की भूमी का अलग से खसरा नम्बर 509 रकबा 30 एयर कायम कर दिया लेकिन बिना पुछताछ किये व बिना मन वादी को सुने मेरे कब्ज की भूमी की खातेदारी पुर्व रिकार्ड के मुताबिक ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जिसका भी मन वादी को कोई जानकारी नहीं हो सकी। लेकिन अव मन वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हाल जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से ली तब पटवारी हल्का ने बताया की यह नम्बर तो आपके नाम से नही है यह तो शिशपाल सिंह वगै० के नाम से है। तब मन वादी ने साबिक रिकार्ड एकत्रित कर, इस बावत प्रतिवादीगण को कहा की खसरा नम्बर 509 रकबा 30 एयर पर मौके पर मेरा कब्जा है तथा यह खसरा मेरे हिस्से में आया था जिस पर वक्त बटवारा आज भी मेरा ही कब्जा है लेकिन बंदोबस्त में उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी आपके नाम से दर्ज कर दी गई। जिससे दुरुस्त करवाओ तो प्रतिवादीगण ने कहा की आप उक्त खसरा नम्बर को दुरुस्त करवाने की कार्यवाही करलो हम अपनी ओर से राजीनामा देने के लिए तैयार है। इसलिए यह दावा बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है।

Sidd/2024

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

3. खसरा नम्बर सवंत 2020 से पूर्व के 835 रकबा 14 विघा 8 विस्वा का वादी व चाचा 1/2 भाग के खातेदार दर्ज है । लेकिन उक्त खसरा नम्बर का हमने आपस में पारिवारिक सैटलमेन्ट के आधार बन्दोबस्त सं०–2020 में बंटवारा किया था जिसमें उसी प्रकार से अन्य आराजीयात का तो बंटवारा होकर अलग–अलग खाताबन्दी हो गयी थी लेकिन मन वादी का जहां पर 01 बिघा 4 विस्वा पर कब्जा था उसको खसरा नम्बर 869 रकबा 2 बिधा 05 विस्वा में मिलाकर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम व उनके बूजुर्गो के नाम दर्ज कर दी गई। तथा जो इन्द्राज गलत आज तक रीपीट होता रहा है जबकि हाल खसरा नम्बर 509 रकबा 30 एयर जो साबिक खसरा नम्बर 869 रकबा 2 विधा 5 विस्वा से मौके पर जो रकबा का अलग से खेत बना हुआ है उसके आधार पर बनाया गया है लेकिन फिर भी खातेदारी सही अंकित नही कर प्रतिवादीगण की ह खातेदारी बन्दोबस्त सं०–2042 के कर्मचारियो द्वारा अंकित कर दी गई। जिससे मन वादी के हक, व हकूक प्रभावित होते है। ऐसी सूरत में मन वादी बन्दोवस्त विभाग द्वारा की गई गडबड को दुरुस्त करवाकर खसरा नम्बर हाल 509 रकबा 30 एयर वाके ग्राम गुन्दरोठ की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। इसलिए हाल खसरा नम्बर 509 रकबा 30 एयर पर से प्रतिवादीगण का नाम कलम जन किया जाकर उसका खातेदार मन वादी को घोषित किया जाने व इसी प्रकार का अंकन हल राजस्व रिकार्ड मे करवाया जाना न्याय संगत है ।

4. आज के दिन प्रतिवादीगण हाल रिकार्ड के गलत इद्रांबात को दुरुस्त करवाने के लिए तैयार है लेकिन जमीन के रेट दिन–प्रतिदिन बढते जा रहे है पता नही कम प्रतिवादीगण के दिमांग में बेईमानी आ जावे जिससे की वो आराजी मु० को हाल रिकार्ड के गलत इन्द्राजात के आधार पर दिगर जगह मुन्तकिल कर सकते है। इसलिए प्रतिवादीगण को इस आशय की हुक्म ईम्ताई दवामी से पानन्द किया जाने की वो हाल खसरा नम्बर 509 रकबा 30 एयर को हाल गलत इन्द्राजात के आधार पर दिगर जगह रहन, बय, हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे व ना ही मन वादी को आराजी मु० पर फसल बोने काटने में किसी प्रकार की दिक्कत बाजी पैदा करे ।

5. अंत मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना कि है:–

(क) डिक्री इस्तकरार हक इस अमर की जारी की जावे की आराजी खसरा नम्बर हाल 509 रकबा 30 एयर वाके ग्राम खुन्दरोठ, तह०–मांढण पर से प्रतिवादीगण का नाम कलम जन किया जाकर उसका खातेदार काश्तकार मन वादी को घोषित किया जावे व इसी प्रकार का इन्द्राजत हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात, खसरा गिरदावरीजात में अंकन करवाया जावे ।

(ख) डिक्री हुक्म ईम्तनाई दवामी जारी कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे की वो हाल रिकार्ड के गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी को दिगर जगह रहन, बय, हिबा व अन्य किसी प्रकार से सुन्तकिल नहीं करे व ना ही मन वादी को उक्त आराजी ख0नं0 509 पर फसल बोने काटने में किसी प्रकार की दिक्कत बाजी पैदा नही करे। बाज आवे

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) दिगर दादरसी जो करीने इंसाफ हो बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे।

6. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया वाद तामिल प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

7. वादी ने साक्ष्य मे देशराज पुत्र रघुनाथ का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01,मोहनसिह पुत्र रघुनाथ का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02 पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी संवत 2011–2014 प्रदर्श 02, नकल निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड दिनांक 31.12.1998, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श 03 नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श 04, नकल खतौनी भू प्रबंध विभाग संवत 2020 प्रदर्श 05 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 06, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2019 प्रदर्श 07, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 से 2061, नकल जमाबंदी संवत 2015 से 2018, नकल जमाबंदी संवत 2033, नकल

उपखण्ड अधिकारी

जमाबंदी संवत 2020 पेश किये है। वकील वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई एव उनकी मौखिक बहस भी सुनी गई।

8. वकील वादी की बहस सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श 03 के अनुसार साबिक ख0नं0 835 मिन रकबा 02 बिघा 05 बिस्वा से 869 रकबा 2 बिघा 05 बिस्वा कायम किया गया है। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 06 के अवलोकन से साबित है कि हाल ख0नं0 509 रकबा 0.30 हैक्ट. साबिक ख.नं. 869 मिन से कायम किया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2015–18 के खाता संख्या 70 पर ख.नं. 835 रकबा 14 बिघा 08 बिस्वा के संदर्भ मे शिशुपाल सिंह वैगराह मन्दर्ज खाता नं. 684 निष्फ निहालसिंह व रघुनाथ सिंह पि0मु0 नत्थूसिह संभाग निष्फ हिस्सेदारान दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2020 प्रदर्श 05 मे खाता संख्या 308 मे ख.नं. 869 रकबा 2 बिघा 05 बिस्वा शिशुपालसिंह बनेसिंह पिता सुन्डासिंह,मूलसिंह पुत्र डुंगासिंह संभाग राजपूत सा0देह खातेदार दर्ज है। नकल ख0गिरदावरी संवत 2016–19 मे ख. नं. 835 के काश्त कॉलम मे निहालसिह, रघुनाथसिंह संभाग 1/2 दर्ज किया हुआ है जिससे साबित है कि इस साबिक नं. 835 के रकबा 14 बिघा 08 बिस्वा मे रघुनाथसिह का कुल रकबा 03 बिघा 12 बिस्वा कब्जेकाश्त खातेदारी का था। नकल जमाबंदी संवत 2033 के खाता संख्या 339 मे ख.नं. 869 रकबा 02 बिघा 05 बिस्वा के संदर्भ मे रघुनाथसिह नत्थूसिह 1/2, बुलसिंह पुत्र डूंगासिंह 1/2 का अंकन हो रहा है। इस जमाबंदी के अनुसार शिशुपालसिह वगराह द्वारा पृथक पृथक नम्बरान का तकासमा किया जाना साबित होता है। नकल जमाबंदी संवत 2061–64 मे ख0नं0 509 रकबा 0.30 हैक्टर के बाबत शिशपालसिंह पुत्र सुन्डासिह 1/4 महेन्द्रसिह, मामराजसिह पुत्र बनेसिह 1/4 पूर्ण सिंह पुत्र शिशपालसिह 1/2 राजपूत सा0देह खातेदार का अंकन हो रहा है जिससे साबित है कि भूप्रबंध विभाग संवत 2042–61 मे भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख0नं0 869 से हाल ख.नं 509 कायम करते समय साबिक रिकॉर्ड के अनुसार इंद्राज न कर उक्त नं0 मे प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज किया है जबकि साबिक रिकॉर्ड के अनुसार रघुनाथ सिंह पुत्र नत्थूसिंह के नाम का अंकन होना चाहिए था क्योंकि साबिक नं0 869 रकबा 02 बिघा 5 बिस्वा मे रघुनाथ का 1/2 हिस्सा था हाल ख.नं. 509 रकबा 30 एयर का खातेदार रघुनाथ दर्ज होना चाहिए था परन्तु भू प्रबंध विभाग द्वार गलत अंकन किया गया है जिसे वादी दुरूस्त करने का अधिकारी है। वादी द्वार प्रस्तुत दस्तावेजात एंव साक्ष्य के आधार पर वाद वादी भंलि भांति साबित होता है वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

9. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर हाल 509 रकबा 30 एयर वाके ग्राम खुन्दरोठ, तह०–मांढण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड मे जो अमले प्रतिवादीगण का नाम कलम जन किया जाकर बाद दुरूस्ती वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदुनसार ।राजस्व रिकॉर्ड मे तदानुसार ही अमलदारामद हो। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (कोटपुतली–बहरोड़)
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

पीठासीन अधिकारी :— महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
408/2015	01.01.2015	02.12.2024

उनवान

1. रघुनाथसिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज० मृतक

1/1 रतनसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/2 रोहताशसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/3 गजराजसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/4 देशराजसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

1/5 मोहनसिंह पुत्र स्व. रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह० नीमराना जिला अलवर राज०

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

2. ओमबीरसिंह पुत्र श्री मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

3.अशोक पुत्र श्री मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

4. मुनेश देवी पत्नी स्व. मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

5. प्रिया पुत्री मामराजसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6. शिशपालसिंह पुत्र श्री सुण्डासिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ..मृतक

6/1 सन्तरा पत्नी स्व. शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/1 सन्तरा पत्नी स्व. शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/2 कैलाशसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/3 पूर्णसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/4 सुलतानसिंह उर्फ पप्पलसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/5 हुकमसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/6 गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/7 देवेन्दसिंह पुत्र श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

6/8 विनोद बाई पुत्री श्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

6/9 सीमा उर्फ ममता पुत्री शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

7. पूर्णसिंह पुत्र शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

9. एस०बी०आई०शाखा बहरोड जरिये शाखा प्रबन्धक

10. पंजाब नैशनल बैंक शाखा नीमराना जरिये शाखा प्रबंधक

11. एस.बी.बी.जे. शाखा मांढण जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, आराजी व
हु.ई.दवामी 88,89 व 188, आर0टी0एक्ट0

पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर हाल 509 रकबा 30 एयर वाके ग्राम खुन्दरोठ, तह०–मांढण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड मे जो अमले प्रतिवादीगण का नाम कलम जन किया जाकर बाद दुरूस्ती वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड मे तदानुसार ही अमलदारामद हो। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)